O/o. E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. C.PTCL
Date 01 APR 2024
Addl.CE
SE
EE
Section

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
सी.आई.एन:– U40108CT2003SGC015820
O/o ED (HR), CSPTCL, Raipur

क्रमांक :– 01–01/अ.प्र.क./28/2023/1925 रायपुर, दिनांक 27 MAR 2024

(अपील प्र.कं.– 28/2023)

श्री सौरभ पाण्डे अपीलार्थी
रायपुर

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

–:: आदेश ::–

(दिनांक 27/03/2024 को पारित)

अपीलार्थी श्री सौरभ पाण्डे ने कार्यालय द्वारा अधूरी जानकारी प्रदान की गई है का लेख करते हुए जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, के विरूद्ध सूचनाधिकार की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की है।

(2) – प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :–

(I)	सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज :–	(1) 01 जनवरी 2023 से 04 अक्टूबर 2023 के बीच आपके कार्यालय में प्राप्त सभी हॉयर पे के आवेदनों की प्राप्ति दिनांक तथा उनके परिप्रेक्ष्य में जारी किये गये आदेशों के जारी होने की तारीख । (2) 01 जनवरी 2023 से 04 अक्टूबर 2023 के बीच में प्राप्त सभी हॉयर पे आवेदनों जिनके परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी नहीं हुए हैं, उन सभी आवेदनों की वर्तमान स्थिति तथा आवेदन किस अधिकारी के समक्ष कितने दिवस तक लंबित रहें है।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :–	मेरे द्वारा वांछित जानकारी के प्रतिउत्तर में कार्यालय द्वारा अधूरी जानकारी प्रदान की गई है। अतः मांगी गई पूर्ण जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि –	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :–
		17.01.2024	जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए, किन्तु अधोहस्ताक्षरकर्ता के अवकाश में होने के कारण अपील में सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी।
		07.02.2024	जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए। उक्त तिथि को अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना की समीक्षा बैठक आयोजित होने के कारण अपील में सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी।
		21.02.2024	जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए। किन्तु अपरिहार्य कारणों से अपील में सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

		13.03.2024	अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 22.02.2024 के माध्यम से अपील की अगली सुनवाई 12 से 16 मार्च 2024 के बीच आयोजित किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अतः दिनांक 13.03.2024 को दोपहर 12:00 बजे अपील की सुनवाई निर्धारित की गई। उक्त तिथि को जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में तर्क/कथन ग्रहण उपरांत सुनवाई सम्पन्न की गई।
(iv)	जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क/कथन :—		(अ) तालिका 01 के परिप्रेक्ष्य में धारा 5 (4) के अनुसार संबंधित प्रभागों से सहायता ली गई। संबंधित प्रभागों द्वारा कुल 05 पृष्ठों की जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी गई। अतएव पत्र क्रमांक 5806 दिनांक 09.11.2023 के माध्यम से निर्धारित समयावधि के भीतर धारा—7(1) के अंतर्गत रूपये 2/—प्रति पृष्ठ की दर से अभिलेख शुल्क रूपये 10/—मात्र का भुगतान कर दस्तावेज प्राप्त किये जाने बाबत् अपीलार्थी को सूचित किया गया। अतएव समुचित अभिलेख शुल्क नियमानुसार प्राप्त कर पत्र क्रमांक 5903 दिनांक 22.11.2023 के माध्यम से अपीलार्थी को कुल 05 पृष्ठों की जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी गई है। (ब) उल्लेखनीय है कि विषयवस्तु को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी को धारा 5 (4) के सहायतार्थ (कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार) 05 पृष्ठों में जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी गई है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा हॉयर पे के सभी आवेदन किस अधिकारी के समक्ष कितने दिवस तक लंबित रहें है कि भी जानकारी चाही गई है। उक्त हेतु पूर्व में आचार संहिता के तहत आदेश जारी नहीं किये जाने विषयक उन्हे मौखिक रूप से कार्यालय में उपस्थित होने पर अवगत कराया गया, जो जिज्ञासाएं संबंधी जानकारी/सूचना है, जिसे प्रदान नहीं करायी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि सूचनाधिकार की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत जिज्ञासाएं सूचना के अंतर्गत नहीं आती है। अतः लोक सूचना अधिकारी दायित्वाधीन नहीं है। उनके द्वारा सिर्फ सूचना दी जाती है, परन्तु कोई जिज्ञासाओं का समाधान नहीं किया जा सकता है। यद्यपि कोई भी व्यक्ति सूचनाधिकार के अंतर्गत तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त कर सकता है जो तथाकथित तौर पर दस्तावेजों में उपलब्ध हो। अतएव अपीलार्थी का अपील तर्क/कथन तर्कसंगत नहीं है।

(3) — सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयांतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

तालिका 2 (1) में अपीलार्थी द्वारा उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी से 02 बिन्दुओं में कार्यालय में प्राप्त हॉयर पे आवेदनों के आदेश इत्यादि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज की मांग की गई है। तत्संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा धारा 5 (4) के पालनार्थ अपीलार्थी को 05 छाया पृष्ठों की जो

जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी गई है वह न्यायसंगत है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा हॉयर पे के सभी आवेदन किस अधिकारी के समक्ष कितने दिवस तक लंबित रहें है जानकारी मांगी गई है जो जिज्ञासा संबंधी जानकारी है, जो सूचना के अंतर्गत नहीं आती है। जनसूचना अधिकारी केवल रिकार्ड में उपलब्ध सूचना ही प्रदान कर सकता है। अतएव तालिका (iv) (ब) में जन सूचना अधिकारी द्वारा कृत कार्यवाही वह दिये गए तर्क विधिसंगत है, जो स्वीकार्य है।

सुनवाई के दौरान जन सूचना अधिकारी का तर्क/कथन कि अपीलार्थी को उच्च वेतनमान आवेदन के संबंध में आवेदन की प्राप्ति दिनांक/आवेदनों की वर्तमान स्थिति (प्रकियाधीन) कॉलम के माध्यम से जो अवगत करायी गई है उसमें अन्य केंडर के अधिकारी/कर्मचारी का भी उच्च वेतनमान स्वीकृति संबंधी आवेदन व दिनांक उल्लेखित है, जिसमें अपीलार्थी का भी आवेदन व दिनांक शामिल है। चूंकि वर्तमान में सभी प्रकियाधीन उच्च वेतनमान अभ्यावेदन का आदेश जारी हो चुके है। तत्सबंधी आदेश पॉवर कंपनी के वेबसाइड में उपलब्ध है। उत्तरवार्दी जन सूचना अधिकारी द्वारा दिये गये तर्क से अपीलार्थी द्वारा संतुष्टी व्यक्त की गई।

उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा कर्तव्य का निवर्हन किया गया है। अतः जन सूचना अधिकारी का पक्ष एवं कृत कार्यवाही अधिनियम के अधीन होने के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं रह जाती है। अतएव तदनुसार अपील समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771– 2574700

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर।
(2) उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–एक/तीन, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर।
(3) श्री सौरभ पाण्डे, सहायक अभियंता कार्या0– मुख्य अभियंता (उपकेन्द्र) छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं. लिमि. रायपुर।
(4) मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव
छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग
नवा रायपुर, अटल नगर ।